उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या– 85 / ई0प0–28344 / VII-A-2/2023/02(4) / 2022
देहरादूनः दिनांक 31 जनवरी, 2023

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, राज्य में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे नवीन और विद्यमान उद्योगों को अपना समर्थन प्रदान करना, मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, विद्यमान लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, लॉजिस्टिक्स सूचकांक में राज्य की रैंकिग को बढ़ाना तथा वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से **"उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति, 2023"** बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

"उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति, 2023"

1.

प्रस्तावना

हिमालयी पर्वत श्रृंखला की तलहटी में अवस्थित उत्तराखण्ड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। राज्य के उत्तर में चीन (तिब्बत), पूर्व में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, पश्चिम व उत्तर–पश्चिम में हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ अंतर–राज्यीय सीमाएँ लगी हुई हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समीप होने के कारण राज्य को महत्वपूर्ण बाजार में पहुंच के साथ–साथ कच्चे माल की उपलब्धता भी सुगमता से होती है। राज्य में जैविक कृषि उत्पादों, कृषि आधारित एवं प्रसंस्कृत भोजन, सगंध एवं औषधीय पौधों पर आधारित उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्युटिकल्स तथा पर्यटन एवं वैलनेस जैसे सेवा क्षेत्रों में निर्यात की असीम सम्भावनायें हैं।

वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड के नये राज्य के रूप में गठन के पश्चात् भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिए वर्ष 2003 में स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज के फलस्वरूप उत्तराखण्ड में तीव्र गति से औद्योगीकरण हुआ है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 का गठन कर राज्य में विश्व स्तरीय औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं युक्त एकीकृत औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गयी, जिसके फलस्वरूप राज्य में विश्व तथा देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों द्वारा अपनी विनिर्माणक इकाइयों की स्थापना यहां पर की गयी। राज्य में निजी क्षेत्र की सहभागिता से औद्योगिक आस्थानों की स्थापना हेतु नीति

1219 1/2/23
To JD Shikhar
01/02/23

प्रख्यापित कर निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया है। उद्योगों के अनुकूल नीतियों एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण ने उत्तराखण्ड को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रतिस्थापित किया है।

राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद गत 5 वर्षों में 9.48 प्रतिशत की दर से (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) रेट (सीएजीआर) वर्ष 2015–16 के बीच रू. 1,77,163 से बढ़कर रू. 2,53,666 हो गया था। वर्ष 2020–21 में कोविड के दौरान, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 4.2 प्रतिशत ह्रास हुआ है, भविष्य में जिसके वर्ष रू. 2,43,012.3 लाख से बढ़कर रू. 2,78,006 लाख तक होने की सम्भावना है। उत्तराखण्ड में संचयी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह पिछले दो वर्षों में (दिसम्बर, 2019 – दिसम्बर, 2021 तक) रू. 80.7 करोड़ से बढ़कर 10 गुना, यथा रू. 918 करोड़ हो गया है। वर्ष 2014–15 से वर्ष 2020–21 के दौरान, उत्तराखण्ड से निर्यात में भारतवर्ष की समावेशी नकारात्मक विकास दर 0.91 प्रतिशत आंकी गयी थी, जिसके सापेक्ष राज्य में 6.38 प्रतिशत (2.14 बिलियन अमरीकी डॉलर) की (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) दर्ज की गयी है।

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा कारोबार सुधार कार्य योजना (BRAP) 2019–20 के तहत विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित ईज ऑफ डुईंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तराखण्ड भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले राज्यों में से एक है।

अगस्त, 2020 में भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) 2020 रिपोर्ट में, उत्तराखण्ड को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में अभिज्ञात किया गया है। यह बुनियादी निर्यात सुविधाओं एवं अवसंरचना, एक अनुकूल व्यापार और निर्यात वातावरण के साथ–साथ राज्य द्वारा अच्छे निर्यात प्रदर्शन की उपस्थिति से संभव हुआ है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट में राज्य ने हिमालयी राज्यों में अपना प्रथम स्थान बनाये रखा है।

मार्च, 2021 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) इण्डेक्स में उत्तराखण्ड को 13वें स्थान पर रखा है। राज्य के लैण्डलॉक्ड स्टेट होने के कारण, राज्य के निर्यातकों को अन्य राज्यों की अपेक्षा एक अंतर्निहित प्रतिकूल लागत वहन करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें कच्चे माल को अपने परिसर में लाने के साथ–साथ तैयार उत्पादों के नौ–परिवहन में उच्च लॉजिस्टिक्स लागतें वहन करनी पड़ती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, उत्तराखण्ड ने वर्ष 2020–21 के दौरान लगभग

रू. 15,915.54 करोड़ की वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात किया है।

राज्य सरकार का यह विश्वास है कि राज्य में स्थायी व सतत् औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के विकास से राज्य में न केवल विनिर्माण एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा, अपितु प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भी वृद्धि होगी। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य की सामरिक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हेतु अधिकतम लाभ उठाने के आशय से **उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति, 2023** को प्राख्यापित करने का निर्णय लिया है। यह नीति लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, राज्य में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे नए और मौजूदा उद्योगों को अपना समर्थन देने के इरादे से प्रख्यापित की जा रही है और इस नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, मौजूदा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के अवसरों का सृजन, लॉजिस्टिक्स सूचकांक (LEADS) में राज्य की रैंकिंग को बढ़ाना तथा वित्तीय व गैर–वित्तीय सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है।

2. परिभाषाएं

इस नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए लॉजिस्टिक्स पार्क तथा अन्य लॉजिस्टिक्स इकाइयों को निम्नवत् परिभाषित किया गया है:–

(क) **"लॉजिस्टिक्स"** से लॉजिस्टिक्स प्रबन्धन की वह समग्र प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो संसाधनों को प्राप्त करने के लिए संग्रहीत कर उन्हें अन्तिम गंतव्य तक पहुंचाता है;

(ख) **"लॉजिस्टिक्स सेवाओं"** से कार्गो एकत्रीकरण/पृथक्करण, वितरण, सामग्री और कंटेनर के इंटरमॉडल हस्तांतरण, खुले और बंद भंडारण, कार्गो पारगमन अवधि में भंडारण के लिए उपयुक्त स्थिति, सामग्री हैंडलिंग उपकरण, और व्यापार और वाणिज्यिक सुविधाएं और सामान्य सुविधाएं अभिप्रेत है;

(ग) **"इको–लॉजिस्टिक्स या ग्रीन लॉजिस्टिक्स"** से ऐसी तकनीकें अभिप्रेत हैं, जिनका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स गतिविधियों के पारिस्थितिक प्रभाव को कम करना है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ठोस–तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वैज्ञानिक निपटान तकनीक, बायो–डिग्रेडेबल वस्तुओं का उपयोग, रीसाइक्लिंग तकनीकों को अपनाना, नवीकरणीय ऊर्जा आदि का उपयोग करना

शामिल है;

(घ) **"सहायक बुनियादी ढांचे"** से लॉजिस्टिक्स पार्क की आवश्यकताओं के अनुरूप आंतरिक सड़कों, संचार सुविधाओं, खुले और हरे भरे स्थानों, पानी की पाइपलाइन, सीवेज/जल निकासी तथा निपटान की सुविधा, विद्युत लाइन, फीडर, सौर पैनल्स और अन्य सुविधाओं के विकास अभिप्रेत है;

(ङ०) **"अंतर्देशीय कंटेनर डिपो"** से एक ऑफ सी–पोर्ट सुविधा अभिप्रेत है, जिसमें एक निश्चित स्थिर अधिष्ठापन या अन्यथा, उपकरण, मशीनरी इत्यादि सेवाओं के संचालन हेतु सेवायें उपलब्ध कराने तथा/या लेडन इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट कण्टेनर्स के कस्टम बॉण्डेड या नॉन बॉण्डेड कार्गो से भण्डारण की सुविधा सहित सीमा शुल्क नियंत्रण से अनुज्ञापन की सुविधा हो। इन सुविधाओं में सड़क संयोजन, रेल संयोजन, सीमा शुल्क/नॉन कस्टम बॉण्डेड वेयरहाउसिंग, ट्रक टर्मिनल्स आदि तथा अन्य उपयोग की सामान्य सुविधाएं, जो कुशल संचालन के लिए आवश्यक हैं, सम्मिलित हैं। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, जिसमें न्यूनतम रू. 50 करोड़ का निवेश किया गया हो और न्यूनतम क्षेत्रफल 18 एकड़ हो;

(च) **"एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स"** से राज्य की एयर कार्गो मूवमेंट क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित की गई सुविधाएं अभिप्रेत है। ये सुविधाएं एयरपोर्ट/ऑफ–एयरपोर्ट स्थानों के भीतर स्थित हो सकती हैं और अन्य सुविधाओं के साथ–साथ हैंडलिंग, स्टोरेज और कार्गो की निकासी जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं;

(छ) **"वेयरहाउस"** से किसी भी कार्गो के लिए भंडारण की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित एक खुला/बंद क्षेत्र, जहां वेयरहाउस कार्गो के संचालन और भंडारण के लिए थोक/ब्रेकबल्क रूप में सुविधाएं प्रदान की गयी है, अभिप्रेत है। पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी ए, बी, बी + और सी) में न्यूनतम रू. 2.5 करोड़ के निवेश के साथ 5,000 वर्ग फुट क्षेत्र में गोदाम की सुविधा और गैर–पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी–डी) में न्यूनतम रू. 5 करोड़ निवेश के साथ 10,000 वर्ग फुट क्षेत्र आवश्यक होगा।

(ज) **"कोल्ड चेन सुविधा"** से कृषि, बागवानी, डेयरी, मछली और समुद्री, पोल्ट्री और मांस उत्पादों, फार्मा आदि जैसे खराब होने वाले/तापमान के प्रति संवेदनशील कार्गो के भंडारण और न्यूनतम प्रसंस्करण के लिए एक सुविधा जो स्रोत से उपभोक्ता तक जुड़ी हुई है, अभिप्रेत है। रू. 5 करोड़ के निवेश के साथ 5,000 वर्ग फुट में कोल्ड चेन सुविधा:

कोल्ड चेन सुविधाओं के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता

है:–

(एक) नियंत्रित वातावरण/संशोधित वायुमंडल कक्ष, परिवर्तनीय आर्द्रता कक्ष, व्यापक भंडारण, इण्डिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, ब्लास्ट फ्रीजिंग, आदि।

(दो) मिनिमल प्रोसेसिंग सेंटर में वजन, छंटाई, ग्रेडिंग, सफाई, वैक्सिंग, पैकिंग, प्री–कूलिंग, फॉग ट्रीटमेंट, विकिरण आदि की सुविधा।

(तीन) शुरू से अन्त तक मोबाइल प्री–कूलिंग वैन और रीफर ट्रक युक्त एक समर्पित कोल्ड चेन सुविधा।

(झ) **"ट्रक टर्मिनलों"** से ऐसी सुविधाएं अभिप्रेत हैं, जो रणनीतिक स्थानों जैसे कि जिला लॉजिस्टिक्स नोड्स, औद्योगिक क्षेत्रों, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेस–वे चौराहे आदि पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए विकसित की जाती हैं। ट्रक टर्मिनल ट्रकों की मरम्मत और रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स के लिए स्टोर, एटीएम, ईंधन स्टेशन, पार्किंग स्थान, परिवहन कार्यालय, स्वच्छता सुविधाएं, वेटब्रिज आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं में अन्य सुविधाओं के साथ–साथ कार्गो के लोडिंग/अनलोडिंग (क्रॉस–डॉकिंग) की सुविधा के साथ–साथ चालकों और उनके सहायकों के लिए ठहरने की सुविधा हो सकती है। ट्रक टर्मिनलों पर वाहन की फिटनेस स्वचालित रूप से जांचने की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। ट्रक टर्मिनल, जिसमें रू. 5 करोड़ का निवेश हो और न्यूनतम 45,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल हो (यह हब/स्पोक/लॉजिस्टिक पार्क का हिस्सा होना चाहिए)।

(ञ) **"लॉजिस्टिक्स पार्क"** से ऐसी सुविधाएं अभिप्रेत हैं, जो कार्गो एकत्रीकरण/अलगाव, वितरण, कार्गो और कंटेनरों के आंतरिक–मोडल स्थानांतरण, खुला और/या बंद भंडारण, तापमान नियंत्रित और/या परिवेश भंडारण, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस, सामग्री हैंडलिंग उपकरण, पार्किंग, अर्द्ध–निर्मित या तैयार माल के कुशल संचलन और वितरण के लिए आवश्यकता के अनुसार मूल्यवर्द्धित सेवाएं और अन्य संबंधित सुविधायें/सेवाएं प्रदान करती हैं। लॉजिस्टिक्स पार्क आंतरिक सड़कों, संचार सुविधाओं, खुले और हरे भरे स्थानों, पानी की पाइपलाइनों, सीवेज और ड्रेनेज लाइनों, विद्युत लाइनों, फीडर और पार्क की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य सुविधाओं सहित सहायक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होंगे।

(ट) **"ट्रांसपोर्ट/ट्रक मालिक/फ्लीट ऑपरेटर्स/एग्रीगेटर्स"** से कम से कम 3 ट्रक/छोटे ट्रक/मिनी पिकअप ट्रक/रेफर वैन (एक्स–शोरूम कीमत जो लागू हो) क्रय किये गये हों अभिप्रेत हैं। ट्रकों का वर्गीकरण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया

जायेगाः--

(एक) **बड़ा ट्रकः** {32–40 फीट, 14–व्हीलर ट्रक (21 टन से 31 टन क्षमता)}

(दो) **मध्यम ट्रकः** {24–32 फीट, 12–व्हीलर ट्रक (16 टन से 25 टन क्षमता)}

(तीन) **छोटा/मिनी पिकअप ट्रकः** {20–32 फीट, 10–व्हीलर ट्रक (10 टन से 15 टन क्षमता)}

(ठ) **"विस्तार"** से विद्यमान इकाई/परियोजना की स्थिर परिसम्पत्तियों, यथाः संयंत्र व मशीनरी तथा फैक्ट्री भवन (विद्यमान इकाई के कार्यशील पूंजी तथा भूमि की लागत को छोड़कर) में विद्यमान स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में न्यूनतम 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, जिससे इकाई की विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत से अधिक की अभिवृद्धि हो अभिप्रेत है।

(ड) **"परियोजना लागत"** से नई इकाई/परियोजना के लिए भूमि में किये गये पूंजी निवेश, एक लॉजिस्टिक्स इकाई के लिए निर्मित सुपर बिल्ट–अप एरिया', संयंत्र व मशीनरी तथा कारखाना भवन, (कार्यशील पूंजी तथा भूमि की लागत को छोड़कर) में किये गये पूंजी निवेश अभिप्रेत है। प्रोत्साहनों की गणना के लिए सर्किल रेट के आधार पर भूमि के कुल मूल्य का 25 प्रतिशत या भूमि की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, को ही हिसाब में लिया जाएगा।

'सुपर बिल्ट–अप एरिया को बिल्ट–अप एरिया के कुल योग के रूप में परिभाषित किया गया है और वह स्थान जो सामान्य क्षेत्रों जैसे सीढ़ी, लॉबी, एलेवेटर, क्लब हाउस, शाफ्ट आदि द्वारा आच्छादित हो। सुपर बिल्ट–अप क्षेत्र को "बिक्री योग्य क्षेत्र" के रूप में भी जाना जाता है, जिसके आधार पर डेवलपर्स आमतौर पर अंतिम शुल्क प्रभार्य करते हैं।'

(ढ) **"हब और स्पोक नेटवर्क"** से एक केन्द्रीकृत, एकीकृत लॉजिस्टिक्स प्रणाली अभिप्रेत है, जिसे लागत कम रखने के लिए डिजाइन किया गया है। हब और स्पोक वितरण केन्द्र कई अलग–अलग मूल उत्पादकों/आपूर्तिकताओं से उत्पाद प्राप्त कर, उन्हें समेकित करते हुए सीधे गन्तव्यों पर भेजते हैं।

3. पात्रता

(i) एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी), ट्रस्ट, गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) और किसी भी अन्य कानूनी इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत संस्था/संस्थान इस नीति के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।

(ii) केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोडल की परियोजनाओं को भी नीति में प्रदत्त सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

(iii) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की इकाइयाँ, जो किसी अन्य नीति के अधीन या केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करती हैं, वे इस नीति में उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहन/लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ समेकित प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

(iv) प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) में विद्यमान औद्योगिक इकाई के पर्याप्त विस्तारीकरण की दी गयी परिभाषा के अनुरूप विद्यमान इकाई के मौजूदा पूंजी निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत या उससे अधिक का अतिरिक्त स्थिर पूंजी निवेश किया जाना आवश्यक होगा।

(v) उत्तराखण्ड माल और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत इकाई ही नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा करने के लिए पात्र होंगी।

(vi) उत्तराखण्ड आधारित माल और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN) पर जारी बीजक (इनवॉयस) में उल्लिखित धनराशि को ही प्रोत्साहनों सहायता के लिए गणना में लिया जाएगा।

4. दृष्टि

(i) उत्तराखण्ड में एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा और विकास से नवाचार, कुशल जनशक्ति, गुणवत्ता और विघटनकारी प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता, परिचालन दक्षता और स्थिरता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इससे लॉजिस्टिक्स की लागत कम होने के साथ–साथ उत्तराखण्ड में व्यापार और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

(ii) इस नीति का उद्देश्य उत्तराखण्ड में पारिस्थितिकी तंत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की क्रॉस–फंक्शनल आवश्यकताओं को संबोधित करना है। यह लॉजिस्टिक्स इनेबलर्स, निवेशकों और सेवा प्रदाताओं की व्यावसायिक आवश्यकताओं को बढ़ाने और बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। राज्य के भीतर हब–स्पोक लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के निर्माण के लिए इस नीति के आलेख को तैयार किया गया है।

5. नीति के उद्देश्य

(i) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए एक सरलीकृत, सक्रिय और उत्तरदायी संस्थागत तंत्र का निर्माण।

(ii) गोदामों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कोल्ड स्टोरेज, औद्योगिक संपदाओं/क्लस्टरों से रेल–सड़क कनेक्टिविटी आदि जैसे नए और मौजूदा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण–

(iii) राज्य को एक हब–स्पोक लॉजिस्टिक्स मॉडल के रूप में प्रतिस्थापित करना, जिससे पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के बीच आर्थिक सम्बन्ध मजबूत हों तथा लॉजिस्टिक्स के लिए संपूर्ण व्यावसायिक मूल्य श्रृंखला में लाभ सृजित हो सके।

(iv) राज्य में प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए हरित और नवीन प्रथाओं को बढ़ावा देना।

(v) फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ प्रदेश में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देना।

(vi) आर्थिक गतिविधियों तथा बृहद स्तर पर रोजगार प्रोत्साहन हेतु विद्यमान वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण तथा सुधार।

(vii) मौजूदा और नए लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना।

(viii) लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने से जुड़ी सभी राष्ट्रीय और वैश्विक एजेंसियों के साथ समन्वय।

(ix) ग्रीन एवं इनोवेटिव लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देते हुए प्रदेश में प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करना।

6. **रणनीति**

(i) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए एक सरलीकृत, सक्रिय और उत्तरदायी संस्थागत तंत्र का निर्माण।

(क) अन्तःक्षेप/सुधार एवं विकास के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राज्य भर में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का मानचित्रण।

(ख) राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा लॉजिस्टिक्स सुविधाओं, सेवाओं, सड़क व रेल नेटवर्क के प्रस्तावित विकास की क्षमता और परिचालन बाधाओं की पहचान।

(ग) रेल नेटवर्क, हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं जैसे लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे की भविष्य की आवश्यकताओं का आंकलन।

(घ) एमएसएमई नीति, 2015, मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021 एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रख्यापित इसी प्रकार की अन्य नीति के केन्द्रित क्षेत्रों पर विचार।

ii. **गोदामों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कोल्ड स्टोरेज, औद्योगिक संपदाओं/क्लस्टरों से रेल–सड़क कनेक्टिविटी आदि जैसे नए और मौजूदा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण।**

इस नीति का उद्देश्य मौजूदा लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के उपयोग में सुधार करना है, जो निजी विकासकर्ता या विभिन्न राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों के नियंत्रण में हैं। प्रासंगिक हितधारक परामर्श के माध्यम से उनके उपयोग में सुधार के लिए मौजूदा सुविधाओं का मूल्यांकन विभिन्न प्रदर्शन मानकों के आधार पर किया जाएगा।

iii. **राज्य में प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए हरित और नवीन प्रथाओं को बढ़ावा देना।**

(क) उत्तराखण्ड सरकार का उद्देश्य राज्य में पर्यावरण के अनुकूल व सतत लॉजिस्टिक्स तथा परिवहन प्रणाली का निर्माण करना है। ग्रीन लॉजिस्टिक्स ऐसी तकनीक हैं, जिनका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स गतिविधियों के पारिस्थितिक प्रभाव को कम करना है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ठोस–तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वैज्ञानिक निपटान तकनीक, बायो–डिग्रेडेबल वस्तुओं का उपयोग, रीसाइक्लिंग तकनीकों को अपनाना, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करना आदि शामिल हैं। इस प्रकार, इस नीति के तहत हरित लॉजिस्टिक्स पहल को बढ़ावा देने के साथ–साथ मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स पार्कों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

(ख) राज्य चेकपॉइंट के माध्यम से कार्गो की कुशल आवाजाही के लिए स्मार्ट सिस्टम लागू करेगा। एक्जिम/डिफेंस कार्गो ले जाने वाले वाहनों के लिए "ग्रीन चैनल्स" की पहचान की जाएगी।

iv. **राज्य में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के साथ लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को बढ़ावा देना।**

(क) उत्तराखण्ड सरकार राज्य में आधुनिक लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के निर्माण में सार्वजनिक–निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी।

(ख) **भण्डारण और संचालन सुविधाओं का विकासः** यह नीति फार्मास्यूटिकल्स, ई–कॉमर्स, कृषि उत्पादों आदि जैसे फोकस क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स क्षमता के सुधार के लिए रणनीतिक नोड्स पर भण्डारण और हैण्डलिंग सुविधाओं के विकास पर केंद्रित है।

(ग) **रणनीतिक स्थानों पर एयर फ्रेट स्टेशनों तथा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का विकासः** इस नीति में एयर कार्गो क्षमता, वर्तमान क्षमता बाधाओं, हवाई संपर्क आदि का आंकलन किया जाएगा। तदनुसार, एयर कार्गो को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की मैपिंग करते समय एयर कार्गो टर्मिनलों और एयर फ्रेट स्टेशनों के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी।

(घ) **ई–कॉमर्स का समर्थित विकासः** यह नीति उच्च गति वाले क्षेत्रों में, मांग स्थानों के समीप तथा शहरों की परिधि के आसपास ई–कॉमर्स हब के विकास को बढ़ावा देती है। यह ई–कॉमर्स क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ शहरों में यातायात भी संकुलित करेगा।

(ड.) **ट्रक टर्मिनल, चालक विश्राम क्षेत्र एवं पार्किंग स्थलों का विकासः** नीति का उद्देश्य औद्योगिक पार्कों तथा उच्च कार्गो घनत्व की परिधि के आसपास रणनीतिक स्थानों (राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेसवे चौराहे आदि) पर ट्रक टर्मिनलों की मरम्मत एवं रखरखाव, चालक विश्राम क्षेत्र और पार्किंग स्थानों के विकास को बढ़ावा देना है। यह भीड़भाड़ को कम करेगा और ट्रकों के शहर में प्रतिबन्धित समय के दौरान उचित प्रतीक्षा क्षेत्र प्रदान करेगा।

v. **उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स कम्पनियों को क्षेत्र विशेष को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय एवं गैर–वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।**

उत्तराखण्ड सरकार क्षेत्र विशेष को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक कंपनियों को वित्तीय और गैर–वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह नीति उत्तराखण्ड में क्षेत्र की क्षमता में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देती है और प्रोत्साहित करती है। इस उद्देश्य के लिए अपनाई जा सकने वाली प्रौद्योगिकी के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

(क) सामग्री से निपटने, कार्गो परिवहन और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं पर कार्गो यातायात को कम करने में रोबोटिक्स और स्वचालन।

(ख) लेन–देन के सत्यापन के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी–आधारित प्रणालियाँ और सुरक्षित तरीके से दस्तावेज़ीकरण और सूचनाओं का आदान–प्रदान।

(ग) सिमुलेशन के निर्माण और लेआउट और नई मशीनरी आदि में नए प्रयोगों के प्रभाव को जोखिम मुक्त तरीके से मापने के लिए डिजिटल ट्विन तकनीक। यह तकनीक आवर्ती प्रवृत्तियों की पहचान करती है और परिचालन वातावरण में संभावित कमजोरियों को दर्शाती है, जो भविष्य में सुधार के लिए इनपुट प्रदान करती है।

(घ) उन्नत मांग नियोजन, रूट प्लानिंग, संचालन योजना आदि के लिए कृत्रिम और ऑगमेंटेड इण्टेलिजेंस टूल्स के उपयोग से समयावधि, मानवीय त्रुटियों और लागत में कमी आई है। कृत्रिम इण्टलिजेंस (एआई)आधारित प्रौद्योगिकियां कम कार्बन उत्सर्जन के लिए सर्वोत्तम मार्ग विकल्प भी प्रदान करती हैं, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता पहल का समर्थन होता है।

(ड.) नीति का उद्देश्य प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, स्टार्ट–अप और अन्य व्यावसायिक इकाइयों द्वारा तकनीकी पेटेंट रजिस्ट्रीकरण को प्रोत्साहित करके और/या नीति अवधि के दौरान विशेष प्रौद्योगिकी समाधानों को लागू करके लॉजिस्टिक्स में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी और नवीन समाधानों के लिए वार्षिक पुरस्कार/पुरस्कार भी प्रारम्भ किए जाएंगे।

टिप्पणीः विशेष महत्त्व की बृहद परियोजनाओं (नई प्रौद्योगिकी आधारित) का केस–टू–केस बेसिस पर अनुकूलित पैकेज स्वीकृत करने पर विचार किया जाएगा। उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति प्रोत्साहन के अनुकूलित पैकेज की सिफारिश करेगी।

vi. राज्य के मौजूदा और नए लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों को सहायता प्रदान करना (ईज ऑफ डूइंग लॉजिस्टिक्स)

सतत् चल रहे व्यावसायिक सुधारों के एक भाग के रूप में और संबंधित विभागों से वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, मौजूदा लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, प्रक्रिया री–इंजीनियरिंग के माध्यम से मानक संचालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अनुमोदन प्रदान करने में शामिल मौजूदा प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करना है। एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पहले से मौजूद है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने, भुगतान, ट्रैकिंग, अनुमोदन आदि के लिए इसे मजबूत किया जाएगा, जो भौतिक सत्यापन की आवश्यकता वाले सभी स्तरों में भौतिक स्पर्श बिंदुओं को हटा देगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदन को समय सीमा के भीतर स्वीकृत किया जाता है, उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

vii. लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने से जुड़ी सभी राष्ट्रीय और वैश्विक एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

राज्य सरकार संभावित निर्यात बाजारों की पहचान करने में सहायता करेगी। यह विदेशों के दूतावास कार्यालयों में व्यापार केंद्रों के साथ गठजोड़ करके निर्यात

प्रोत्साहन डेस्क के साथ संबंध स्थापित करेगा।

राज्य में लॉजिस्टिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, सरकार निर्यात योजना (टीआईईएस), सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) आदि के लिए व्यापार अवसंरचना (ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर) जैसी योजनाओं का लाभ उठाएगी।

राज्य सरकार मौजूदा लॉजिस्टिक्स और निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और राज्य में प्रासंगिक निर्यात परिषदों के शिविर कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रासंगिक लॉजिस्टिक्स और अन्य निर्यात संवर्धन संगठनों जैसे फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO), इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड (IIFT), इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EEPC), सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (SEPC) , एक्सपोर्ट क्रेडिट गारण्टी कॉर्पोरेशन (ECGC), चाय बोर्ड आदि के साथ भी सहयोग करेगी।

viii. उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य के लिए एक व्यापक लॉजिस्टिक योजना का विकास एवं क्रियान्वयन करना है।

उत्तराखण्ड सरकार लॉजिस्टिक के चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ एक व्यापक लॉजिस्टिक योजना का विकास और कार्यान्वयन करेगी:

(क) **चालक सशक्तिकरण और रोजगार:** राजमार्गों तथा प्रमुख सड़कों के साथ ट्रकों और उनके चालकों के लिए समर्पित पार्किंग तथा विश्राम स्थलों का चिन्हांकन।

(1) प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के लिए योजनाएं।

(2) बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने वाले राज्य के राजमार्गों में प्राथमिक सुविधा प्रदान करने वाली सुविधाओं/केंद्रों का विकास।

(3) चालकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राज्य विशिष्ट योजनाओं का संचालन।

(4) राज्य कौशल मिशन द्वारा चालक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(ख) **वेयरहाउसिंग:** भूमि की सुगम उपलब्धता और भूमि उपयोग के रूपांतरण के लिए सुविधाजनक वातावरण, वेयरहाउसिंग के लिए एफएआर में छूट, गोदामों की ऊंचाई आदि के संबंध में मानकों का निर्धारण।

(1) एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अधीन गोदामों की स्थापना और संचालन के लिए अनुज्ञा तथा अनुमोदन प्राप्त करने की व्यवस्था।

(2) राज्य में गोदामों की ई–डायरेक्टरी तैयार करना।

(ग) **स्मार्ट एनफोर्समेंटः** न्यूनतम निरीक्षण और सड़क पर ट्रकों के रुकने हेतु ईको–सिस्टम विकसित करना। ट्रक आवाजाही चौकियों की पहचान कर आ रही बाधाओं को दूर करना तथा माल की ढुलाई हेतु सड़क अधिनियम, 2007 एवं भारतीय मोटर वाहन अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन।

(1) सड़क प्रवर्तन के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

(2) प्रोट्यूडिंग कार्गो को संबोधित करने की पहल।

(3) प्रवर्तन की एक वैकल्पिक/नवीन पद्धति को अपनाने के लिए रोड़मैप तैयार करना।

(4) दूरस्थ प्रवर्तन के लिए वाईफाई/सीसीटीवी/डब्ल्यूआइएम का प्रावधान।

(5) जीएसटीएन/फास्टैग/वाहन/सारथी डेटाबेस का एकीकरण और स्मार्ट प्रवर्तन में उपयोग।

(घ) **सिटी लॉजिस्टिक्सः** शहरों के पास पेरी–शहरी क्षेत्रों में ट्रक पार्किंग/वेयरहाउसिंग के साथ लॉजिस्टिक्स पार्क/ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट–माइल डिलीवरी के लिए ट्रैफिक की व्यवस्था।

(1) शहर की सीमाओं के भीतर लास्ट माइल डिलीवरी के लिए परिवहन बुनियादी ढांचे और यातायात योजना का विकास।

(2) शहर में गोदामों की शिफ्ट को सक्षम करने के लिए गोदामों/पूर्ति/एकत्रीकरण केंद्रों के विकास के लिए पेरी–शहरी स्थानों की पहचान।

(3) टिकाऊ मोड आदि के माध्यम से माल का परिवहन।

7. **उत्तराखण्ड में निवेश हेतु फ्रेमवर्कः**

i. **औद्योगिक गलियारे**

राज्य की रणनीतिक स्थिति और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आगामी दो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों से निकटता, अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य में लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए ढांचागत आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेंगे। राज्य सरकार राज्य के लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करेगी।

ii. **वेयरहाउसिंग, स्टोरेज, कंटेनर सुविधाएं और एयर कार्गो सुविधाएं बढ़ाना**

(क) कार्गो भण्डारण, सीमा शुल्क निकासी और कंटेनर उपलब्धता में चुनौतियों/कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार हरिद्वार और अन्य

उभरते औद्योगिक केंद्रों में नई अंतर्देशीय कंटेनर डिपो(आईसीडी)/शुष्क बन्दरगाह स्थापित करेगा।

(ख) बनबसा, चंपावत में एक लैंड कस्टम स्टेशन (LCS) को लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) के समन्वय से एक एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) के रूप में स्थापित किया जाएगा।

(ग) काशीपुर और पंतनगर में मौजूदा आईसीडी और जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर मौजूदा कार्गो सेटअप का उन्नयन करना।

(घ) राज्य, पंतनगर हवाई अड्डे पर कोल्ड चेन और वेयरहाउसिंग के लिए एकीकृत सुविधाओं के साथ लॉजिस्टिक्स की सुविधा के लिए एक कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगा।

(ड.) भारत के मेट्रो शहरों सहित गंतव्यों के लिए नई उड़ानें शुरू करके हवाई संपर्क बढ़ाया जायेगा।

(च) कार्गो प्रवाह/बहिर्वाह को बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार और रखरखाव, जिससे उद्योगों द्वारा किए गए लेन–देन की लागत को कम किया जा सके।

(छ) सभी क्षेत्रों में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए भारत सरकार से समन्वय।

(ज) ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ऑल–वेदर चारधाम रोड परियोजना और भारतमाला सड़क परियोजना जैसी चल रही परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के दूरस्थ भागों से संयोजकता बढ़ाना है।

iii. लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग की स्थितिः

भारत सरकार द्वारा निर्धारित 'बुनियादी ढांचे की स्थिति' की शर्तों को पूरा करने वाली वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इकाइयों को राज्य में 'उद्योग' का दर्जा दिया जाएगा।

iv. शुष्क बंदरगाहों को बढ़ावा देनाः

उत्तराखण्ड सरकार उपयुक्त स्थानों (उच्च व्यावसायिक घनत्व) पर शुष्क बंदरगाहों और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICDs) को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

v. भण्डारण सुविधाएं

एमएसएमई क्षेत्र (विशेषकर कृषि उत्पादक) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य का लक्ष्य प्रत्येक जिले में भण्डारण सुविधाएं विकसित करना है।

vi. **लॉजिस्टिक्स पार्क**

राज्य सरकार सिडकुल के माध्यम से आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास तथा लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना में सहायता प्रदान करेगी।

vii. **मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP)**

नौवहन मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के तहत तैयार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्से के रूप में, भारत के विभिन्न राज्यों में 7 मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) प्रस्तावित किए गए थे, इनमें से एक पार्क लगभग 38 एकड़ के क्षेत्र में पंतनगर, उत्तराखण्ड में स्थापित किया गया है। इस सुविधा पर घरेलू संचालन पहले ही शुरू कर दिया गया है और राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय संचालन की सुविधा प्रदान करेगी। यह पार्क आईआईई पंतनगर और आसपास के क्षेत्रों जैसे रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा और खटीमा में स्थित उद्योगों को सहायता प्रदान कर रहा है, जहां पर प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उद्योग स्थापित हैं। यह पार्क रेल लिंक्ड मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के रूप में काम करेगा।

viii. **सार्वजनिक–निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना**

राज्य में आधुनिक लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के निर्माण में राज्य सार्वजनिक–निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

ix. **कौशल विकास**

उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन के समन्वय से, राज्य क्षेत्र में बढ़ती मांग के लिए कुशल जनशक्ति को सक्षम करने के लिए लॉजिस्टिक्स विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

8. नीति का कार्यान्वयन

i. यह नीति इसके अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और 5 वर्षों तक लागू रहेगी। इस नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित मुद्दों, यदि कोई हो, अधिसूचना जारी होने के 2 वर्ष बाद प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आवश्यक संशोधनों को सम्मिलित कर तदनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

ii. इस नीति में यदि आवश्यक हो, तो समय–समय पर इसे संशोधित या अधिक्रमित किया जा सकता है।

iii. इस नीति के किसी भी प्रावधान में संशोधन होने पर, यदि राज्य सरकार पहले से ही किसी इकाई को वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ प्रदान कर रही हो, तो उसे वापस

नहीं लिया जाएगा और इकाई निर्धारित अवधि तक लाभ की हकदार बनी रहेगी।

iv. केंद्र सरकार/राज्य सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी की किसी अन्य योजना के तहत समान परिसंपत्ति के लिए कोई प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाई इस योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगी।

v. इस नीति के तहत प्रदत्त लाभ केवल तभी अनुमन्य होंगे, जब पूंजीगत व्यय के साथ–साथ परिचालन उद्देश्यों के लिए यूनिट के बिलिंग का पता उत्तराखण्ड राज्य में स्थित हो।

9. लॉजिस्टिक्स संस्थागत व्यवस्था

i. राज्य लॉजिस्टिक्स प्रकोष्ठ (सेल)

एक अनुकूल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के निर्माण के लिए, एक राज्य–स्तरीय लॉजिस्टिक्स सेल और स्टेट लॉजिस्टिक्स को–ऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर सचिव, औद्योगिक विकास को सेक्टर के एकीकृत विकास के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

यह सेल लॉजिस्टिक्स वैल्यू चेन में परफॉर्मेंस मेट्रिक्स को मापेगा और भविष्य की अवसंरचना व लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स के लिए डेटा–संचालित निर्णय लेने, क्षमता की उपलब्धता और राज्य में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के विकास की प्रवृत्तियों को सक्षम बनायेगा।

(क) राज्य लॉजिस्टिक्स प्रकोष्ठ(सेल)

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2.	आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड।	सदस्य सचिव
3.	सचिव/अपर सचिव, नियोजन, वित्त, यातायात, नागरिक उड्डयन, राजस्व, वन एवं पर्यावरण, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4.	प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।	सदस्य

(ख) राज्य लॉजिस्टिक्स समन्वय समिति

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य सचिव

3.	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, वित्त, यातायात, नागरिक उड्डयन, राजस्व, वन एवं पर्यावरण, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4.	आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग/ निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड।	सदस्य
5.	प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।	सदस्य
6.	क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)।	सदस्य
7.	निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)।	सदस्य

यह भी प्रस्तावित है कि प्रमुख शहरों, जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, हल्द्वानी आदि के लिए नगर लॉजिस्टिक्स समन्वय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें नगर निगम, जिला प्राधिकरण आदि शामिल रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी माल ढुलाई क्षमता में सुधार और कार्गो आवाजाही को आसान बनाना तथा बाधाओं को दूर करना है।

10. लॉजिस्टिक्स इकाइयों / पार्कों को प्रोत्साहन

नीति के माध्यम से सम्भाव्य और प्रत्याशित क्षेत्रों में रणनीतिक हस्तक्षेप

उत्तराखण्ड राज्य की स्थलाकृति और लॉजिस्टिक आउटपुट के संदर्भ में आवश्यकताओं को देखते हुए इस नीति का उद्देश्य राज्य के भीतर एक हब–स्पोक मॉडल कॉन्सेप्ट का निर्माण करना है, जिससे हब (मैदानों के रूप में वर्गीकृत जिलों) में बड़े लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो और सुदूर के सम्बद्ध जिलों में मध्यम तथा छोटे स्पोक तैयार हो सकें। राज्य की भौगोलिक/स्थलाकृतिक आवश्यकताओं के आधार पर कंटेनरों और वाहनों में सामग्री के प्रवाह को समान रूप से आकार दिया गया है।

सम्भाव्य हब (स्तर 1): हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले।

- जहां हम एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, वेयरहाउसिंग सुविधा, कोल्ड चेन सुविधा, बड़े ट्रक टर्मिनलों, ट्रांसपोर्ट/ट्रक मालिकों/फ्लीट ऑपरेटर्स/एग्रीगेटर्स, लॉजिस्टिक्स पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) के विकास की उम्मीद कर रहे हैं।
- लॉजिस्टिक्स पार्क मुख्य रूप से स्थित होगा
    - मौजूदा या प्रस्तावित एकीकृत औद्योगिक संपदा (आईआईई) पार्कों/एसआईडीसी/किसी भी प्रस्तावित औद्योगिक क्लस्टर की परिधि से

अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी।

- किसी भी मौजूदा या प्रस्तावित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर (रेलवे/राज्य राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग), या एयरबेस से अधिकतम 3 किलोमीटर की दूरी।

- अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी)/कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) मुख्य रूप से निकटतम रेलवे स्टेशनों/एयरबेस के निकट स्थित होगा।
- अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी)/कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) के संबंध में अन्य नियम वित्त मंत्रालय द्वारा परिपत्र संख्या 50/2020–कस्टम द्वारा जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार होंगे।

प्रशंसनीय मध्यम स्पोक्स (स्तर 2): स्तर 1 से 75 किलोमीटर से अधिक या उसके बराबर स्थान।

प्रशंसनीय छोटे स्पोक्स (स्तर 3): स्तर 2 से 50 किलोमीटर से अधिक या उसके बराबर स्थान।

नोटः ये स्थान राज्य के लिए रणनीतिक स्थान होंगे, अन्य स्थान ट्रंक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त स्थान के अनुसार हो सकते हैं।

क्र.सं.	इकाइयां	मानदण्ड	प्रोत्साहन
(क)	**सामान्य लॉजिस्टिक्स सुविधायें** (1) रू. 50 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी(सब्सिडी) की अधिकतम सीमा रू. 8 करोड़ होगी। (2) रू. 50 करोड़ से अधिक और 150 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत के लिए, सहायिकी(सब्सिडी) रू.24 करोड़ तक सीमित होगी। (3) रू. 150 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत के लिए, सहायिकी(सब्सिडी) रू. 32 करोड़ तक सीमित होगी।		
i.	गोदाम की (वेयरहाउसिंग) सुविधायें	पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी ए, बी, बी + और सी) में न्यूनतम रू. 2.5 करोड़ निवेश के साथ 5,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में गोदाम की सुविधा और गैर–पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी–डी) के लिए रू. 5 करोड़ के निवेश के साथ न्यूनतम 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल।	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत
ii.	ट्रक टर्मिनल	रू. 5 करोड़ के निवेश और 45,000 वर्ग फुट के	परियोजना लागत

		न्यूनतम क्षेत्रफल में स्थापित ट्रक टर्मिनल।	का 20 प्रतिशत
iii.	परिवहन / ट्रक मालिक / फ्लीट ऑपरेटर / एग्रीगेटर	कम से कम 3 ट्रक/छोटे ट्रक/मिनी पिकअप ट्रक/रेफर वैन की खरीद (एक्स–शोरूम कीमत)।	बड़े पर 10 प्रतिशत और छोटे और मध्यम ट्रकों पर 15 प्रतिशत, अधिकतम रू. 10 लाख
iv.	कोल्ड स्टोरेज	5,000 वर्ग फुट का न्यूनतम क्षेत्रफल।	परियोजना लागत का 15 प्रतिशत केंद्रीय सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रदान की जाने वाली सहायिकी(सब्सिडी) के अतिरिक्त दिया जाएगा।
v.	बुनियादी सुविधायें	बुनियादी सुविधाओं के रूप में विकसित आंतरिक परिवहन प्रणाली, बिजली लाइन, संचार सुविधाएं, जल वितरण और जल वृद्धि सुविधाएं, सीवेज और जल निकासी लाइनें, अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाएं, फायर टेंडर व्यवस्था, पार्किंग, वेइंग ब्रिज, चिकित्सा केंद्र।	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत

क्र.सं.	इकाइयां	मानदण्ड	प्रोत्साहन
(ख)	**विशेष लॉजिस्टिक्स इकाइयां** (1) रू. 50 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी की अधिकतम सीमा रू. 8 करोड़ होगी। (2) रू. 50 करोड़ से अधिक और रू. 150 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी अधिकतम सीमा रू. 24 करोड़ होगी। (3) रू. 150 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी की अधिकतम सीमा रू. 32 करोड़ होगी।		

i.	लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी / ड्राई पोर्ट / एयर कार्गो / इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क)	पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी ए, बी, बी + और सी) में 05 एकड़ से अधिक और गैर–पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी डी) के लिए 10 एकड़ से अधिक भूमि पर निजी / पीपीपी / जेवी मोड के आधार पर लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए गए।	(क) (i)–(क) (v) में सूचीबद्ध सुविधाओं के अनुसार प्रोत्साहन।
ii.	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD)	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कम से कम 18 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा।	(क)(i)–(क)(v) में सूचीबद्ध सुविधाओं के अनुसार प्रोत्साहन।

(ग)	**सभी श्रेणी के प्रोत्साहनों के अलावा**
i.	कौशल विकास प्रोत्साहन (नए लॉजिस्टिक्स प्रदाता के लिए– सामान्य या विशेष) सहायता के लिए प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 1 माह से अधिकतम 3 माह होगी।
ii.	रू. 25,000 का एकमुश्त समर्थन या प्रति व्यक्ति प्रशिक्षण की वास्तविक लागत जो भी कम हो, संचालन की शुरुआत की तारीख से 2 साल की अवधि के भीतर अधिकतम 100 कर्मचारियों तक दिया जाएगा। कौशल विकास संस्थान को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम(एनएसडीसी) / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) / सरकार / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्(एआईसीटीई) के अधीन मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
iii.	कुशल श्रमिकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों के समन्वय से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

टिप्पणी:

1. ये प्रोत्साहन सभी नए और मौजूदा उद्योगों / लॉजिस्टिक इकाइयों, जिनका विस्तार हो रहा है, को अनुमन्य होंगे। राज्य सरकार नियमित रूप से इस नीति की प्रगति की समीक्षा करेगी और इसे और अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
2. टर्मिनल ऑपरेटरों को टर्मिनल के भीतर एक स्वच्छ वातावरण बनाए रखना होगा, जिसमें नियमित जांच की जाएगी और टर्मिनल के संचालक, जो भोजन और स्वच्छ आवास पर्यावरण के अनुरूप होने में विफल रहते हैं, ऐसे टर्मिनलों का रजिस्ट्रीकरण बंद कर दिया जाएगा।

11. वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने की प्रक्रिया

क्र. सं.	प्रोत्साहन जारी करने का चरण	चरण	चेकलिस्ट मॉडेलिटी (निवेशक द्वारा प्रस्तुत)
1.	प्रथम किश्त	भूमि क्रय के समय 10 प्रतिशत की पहली किश्त।	1. **कंपनी निगमन प्रमाणपत्र।** 2. **लैंड सेल डीड/लीज डीड।** 3. **चार्टर्ड एकाउंटेंट से स्वीकृत डीपीआर।** 4. **वित्त के साधन।** सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है, और नियत वेबसाइट सत्यापन पर, निधि का वितरण किया जाएगा।
2.	दूसरी किश्त	लॉजिस्टिक नीति के अधीन कुल प्रोत्साहन के 35 प्रतिशत की दूसरी किस्त यह सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाएगी कि परियोजना लागत का 90 प्रतिशत परियोजना पर उपयोग किया गया है।	1. **बिल वाउचर्स, प्रूफ ऑफ पेमेंट तथा बैंक स्टेटमेंट:** प्रोजेक्ट पर किया गया खर्च। 2. प्रोजेक्ट के लिए चुकाया गया माल और सेवा कर**(जीएसटी)** चालान। 3. परियोजना स्थल के **फोटो/वीडियो साक्ष्य।** 4. वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पूर्णता प्रमाण पत्र (काउंसिल ऑफ आर्कीटैक्चर से रजिस्ट्रीकृत वैध रजिस्ट्रीशन प्रमाण पत्र के साथ)। सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है, और नियत वेबसाइट सत्यापन पर, निधि का वितरण किया जाएगा।
3.	तीसरी किश्त	लॉजिस्टिक नीति के तहत कुल प्रोत्साहन के 35 प्रतिशत की तीसरी किस्त जिला उद्योग केंद्र/उद्योग निदेशालय द्वारा भौतिक सत्यापन के माध्यम से	1. चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाण पत्र : परियोजना पर किया गया वास्तविक व्यय वित्त के साधन और परियोजना लागत के 100 प्रतिशत उपयोग को दर्शाता है।

		वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की पुष्टि और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समेकित सहमति और प्राधिकृत (सीसीए) जारी होने के बाद जारी की जाएगी।	2. इकाई द्वारा प्रदत्त सेवाओं/ व्यावसायिक गतिविधि प्रारम्भ करने का अपने जीएसटीआईएन नम्बर से जारी प्रथम बीजक की प्रति। 3. जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) द्वारा जारी वाणिज्यिक संचालन प्रमाणपत्र। सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है, और नियत वेबसाइट सत्यापन पर, निधि का वितरण किया जाएगा।
4.	चतुर्थ किश्त	लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत कुल प्रोत्साहन राशि के 20 प्रतिशत की चौथी किस्त व्यावसायिक संचालन के 2 वर्ष बाद जारी की जाएगी।	1. ऑडिट बुक/वार्षिक वित्तीय आख्या (रिपोर्ट) (वाणिज्यिक संचालन के 2 वर्ष पश्चात्) 2. प्रोत्साहन की चौथी और अंतिम किस्त जारी करने से पहले से स्वीकृत मदों के लिए प्रस्तावित/ मूल्यांकित/वास्तविक लागत, जो भी कम हो, के आधार पर एक परियोजना लागत की पुनर्गणना की जाएगी और तदनुसार जारी की जाएगी। सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है, और नियत वेबसाइट सत्यापन पर, निधि का वितरण किया जाएगा।

टिप्पणी: "नीति के क्रियान्वयन के लिये समय–समय पर संशोधित Enviornment protection Act, Wild life protection Act, Motor Vehicle Act एवं Labour Act से सम्बन्धित प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा"

इस नीति की अधिसूचना के बाद नीति के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

संख्याः 85 (1)/ ई0प0–28344 / VII-A-2/2023/02(4) / 2022, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा0 औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
4. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, मंत्रिपरिषद, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक / आयुक्त–उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक–उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की–हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि आगामी सरकारी गजट में उक्त सरकारी कार्यालय ज्ञाप की 200 प्रतियां प्रकाशित करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर सचिव।